पूर्ण बेंच

एस. एस. संधवालिया, बी. एस. ढिल्लों और हरबंस लाल, न्यायमूर्ति

चरणजी लाल और अन्य-याचिकाकर्ता।

बनाम

वित्तीय आयुक्त, हरियाणा, आदि-उत्तरदाता।

1978 की सिविल विविध संख्या 664 और 1975 की सिविल रिट याचिका संख्या 5435-27 अप्रैल, 1978।

भारत का संविधान 1950-अनुच्छेद 226-भौतिक तथ्यों की गणना और जानबूझकर दमन-क्या याचिकाकर्ता को असाधारण रिट अधिकार क्षेत्र के तहत राहत का दावा करने के लिए अयोग्य बनाता है। यह अभिनिर्धारित किया गया कि भौतिक तथ्यों का दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दमन याचिकाकर्ताओं को किसी भी राहत के लिए अयोग्य घोषित कर देगा, जिसका उन्होंने भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत रिट अधिकार क्षेत्र के तहत उपलब्ध असाधारण उपचार के तहत दावा किया था। ऐसी स्थिति में याचिकाकर्ताओं का आचरण उन्हें उस राहत से वंचित कर देगा जिसका उन्होंने दावा किया था और इस तरह रिट गुण-दोष में गए बिना खारिज होने के लिए उत्तरदायी होगा।

(Paras 10 and 14)

(i) याचिका भारत के संविधान के अनुच्छेद 226/227 के अधीन यह प्रार्थना करते हुए कि-(i) मामले के अभिलेख कृपया अपनी रिट याचिका के निपटारे के लिए समन कर सकते हैं;

(ii) प्रत्यर्थी सं. 1 से 3, दिनांक 13 अगस्त, 1975,14 अगस्त, 1972 और

17 अप्रैल, 1972, (अनुलग्नक पी-5, पी-4 और पी-3) क्रमशः एक और निर्देश के साथ जारी किया जाए कि डिक्री के माध्यम से इस तरह से प्राप्त क्षेत्र से भूमि के किसी भी टुकड़े को अधिशेष घोषित नहीं किया जाए;

(iii) कोई अन्य रिट, निर्देश या आदेश जैसा कि यह माननीय न्यायालय न्यायसंगत और उचित समझता है जारी किया जाए;

(iv) अनुलग्नक पी-19 पी-2, पी-4 की प्रमाणित प्रतियां दाखिल करने के साथ;

(v) मामले की विशिष्ट परिस्थितियों में प्रस्ताव की अपेक्षित सूचना कृपया वितरित की जा सकती है; और

(vi) यह आगे प्रार्थना की जाती है कि विवादित आदेशों के विवाद और संचालन में भूमि से याचिकाकर्ताओं के बेदखल होने पर याचिका के अंतिम निपटान तक रोक लगाई जा सकती है।

आवेदन धारा 151 सी. पी. सी. के अधीन प्रार्थना की जाती है कि रिट याचिका को कृपया खारिज किया जा सकता है और प्रत्यर्थियों 4 से 10 (वर्तमान आवेदकों) को रिट याचिका की लागत से सम्मानित किया जा सकता है।

आगे यह प्रार्थना की जाती है कि प्रत्यर्थियों को विशेष लागत दी जानी चाहिए क्योंकि उन्हें पिछले लगभग तीन वर्षों से बिना किसी औचित्य के भूमि के कब्जे से बाहर रखा गया है और दूसरी ओर वे अपनी रिट याचिका में बहुत ही भौतिक तथ्यों को छिपाकर इस माननीय न्यायालय से स्थगन आदेश प्राप्त कर सकते हैं।

याचिकाकर्ता की ओर से अधिवक्ता एन. सी. जैन के साथ अधिवक्ता जे. एस. वासु।

प्रतिवादियों की ओर से अधिवक्ता ईश्वरी प्रसाद।

**JUDGMENT**

*एस. एस. संधवालिया, न्यायमूर्ति*

(1) रिट अधिकार क्षेत्र का अभिशाप-प्रवेश और अंतरिम राहत को सुरक्षित करने के लिए भौतिक तथ्यों का एक परिकलित और परिकल्पित दमन इस मामले में स्पष्ट ध्यान और निर्णय के लिए सामने आया है।

(2) तथ्य अब गंभीर विवाद में नहीं हैं। छह रिट याचिकाकर्ता सभी एक मोमन के पोते हैं। उन्होंने संयुक्त रूप से यह रिट याचिका मुख्य रूप से कलेक्टर (कृषि) कैथल, जिला कुरुक्षेत्र, दिनांक 17 अप्रैल, 1972 के आदेश (और उसी को बरकरार रखने वाले अपीलीय और पुनरीक्षण आदेश) को चुनौती देने के लिए लाई थी, जिसमें उन्होंने उनके आवेदन को खारिज कर दिया था, जिसमें मांग की गई थी कि उनके पूर्ववर्ती के हित में अधिशेष घोषित क्षेत्र मोमन मृतक को निष्कासित किरायेदारों को आवंटन से छूट दी जाए। यह राहत इस आधार पर मांगी गई थी कि उक्त भूमि को बाद में याचिकाकर्ताओं द्वारा मोमन मृतक के प्रतिशोधियों से एक पूर्व-मुक्ति मुकदमे के माध्यम से खरीदा गया था, जिसे बाद में उनके पक्ष में फैसला सुनाया गया था। कलेक्टर ने अनुलग्नक पी3 के माध्यम से यह मत व्यक्त किया कि विवादित क्षेत्र जो मोमन द्वारा 30 जुलाई, 1958 के बाद बेचा गया था, उसे इसके मूल मालिक द्वारा प्रामाणिक बिक्री नहीं माना जा सकता है। उन्होंने आगे कहा कि याचिकाकर्ताओं द्वारा बहुत बाद में 4 अप्रैल, 1972 को प्राप्त डिक्री भी मिली-जुली प्रकृति की थी। उपर्युक्त आदेश के खिलाफ सभी छह रिट-याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर एक अपील को आयुक्त, अंबाला डिवीजन द्वारा 14 अगस्त, 1972 को खारिज कर दिया गया था-रिट याचिका के अनुलग्नक पी 4 के माध्यम से। उक्त आदेश के खिलाफ एक संशोधन बाद में इसी तरह के भाग्य का सामना किया।

(3) अब इसमें कोई संदेह नहीं है कि वर्तमान रिट याचिका दायर करने से बहुत पहले, सभी याचिकाकर्ताओं ने मुकदमा नं. 744/1972 को 2 मई, 1972 को अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय श्रेणी, कैथल के न्यायालय में, यह घोषणा करने की मांग करते हुए कि कलेक्टर (कृषि) कैथल का उपरोक्त आदेश, दिनांक 17 अप्रैल, 1972, अनुलग्नक पी 3, और वाद भूमि और अधिशेष क्षेत्र के आवंटन आदि से संबंधित अन्य सभी कार्यवाहियां। वे शून्य और शून्य थे और उन पर

बाध्यकारी नहीं थे। प्रतिवादियों को वाद भूमि पर उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए एक स्थायी निषेधाज्ञा की भी मांग की गई थी। 24 दिसंबर, 1974 को विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश द्वितीय वर्ग द्वारा मुकदमे को लागत के साथ खारिज कर दिया गया था। इस बर्खास्तगी के खिलाफ, रिट याचिकाकर्ताओं ने तब जिला न्यायाधीश के न्यायालय में एक अपील दायर की, जिसे 17 अगस्त, 1976 को अतिरिक्त जिला न्यायाधीश श्री वी. के. जैन द्वारा फिर से खारिज कर दिया गया। विद्वत अतिरिक्त जिला न्यायाधीश के उपरोक्त आदेश के खिलाफ आगे कोई अपील या पुनरीक्षण नहीं किया गया।

(4) वर्तमान रिट याचिका को 16 सितंबर, 1975 को पेश किया गया था और अगले दिन सुनवाई के लिए पेश किया गया था जब याचिकाकर्ताओं के निष्कासन पर रोक लगा दी गई थी और 8 अक्टूबर, 1975 के लिए प्रस्ताव की सूचना जारी की गई थी। पीठ के बाद के आदेशों से यह स्पष्ट है कि उपस्थिति केवल आधिकारिक प्रत्यर्थियों की ओर से दी गई थी और निजी प्रत्यर्थियों 4 से 11 को या तो पेश नहीं किया गया था या किसी भी मामले में वे उपस्थित नहीं हुए थे और बाद में अधिकारियों के टकराव को देखते हुए मामले को पूर्ण पीठ में सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया गया था, जबकि याचिकाकर्ता के पक्ष में रोक जारी रखने की अनुमति दी गई थी।

(5) रिट याचिका में 4 से 10 प्रत्यर्थियों की ओर से वर्तमान सिविल विविध याचिका दायर की गई है, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ यह प्रार्थना की गई है कि इसे इस आधार पर खारिज कर दिया जाए कि रिट-याचिकाकर्ताओं द्वारा न्यायालय तक अधिक पहुंचने के लिए और इस तरह रिट याचिका के प्रवेश को ठीक करने और अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए भौतिक तथ्यों का दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दमन किया गया है, जो परिणामस्वरूप उन्हें प्रदान किया गया है। चूंकि इस आधार को पूरी तरह से हमारे पक्ष में पाया गया, इसलिए हम न्यायपालिका के दूसरे आधार पर विज्ञापन देना अनावश्यक समझते हैं, जिस पर बर्खास्तगी की समान राहत भी मांगी गई थी। यही कारण है कि उपरोक्त तथ्यों को केवल पूर्व आधार के संबंध में वर्णित किया गया है।

(6) अब यह उल्लेख करना महत्वपूर्ण है कि इस सिविल विविध आवेदन के लिए रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से दायर जवाब में, आवेदकों (रिट याचिका में 4 से

10 उत्तरदाताओं) की ओर से तथ्यात्मक रुख से इनकार नहीं किया गया है यह स्वीकार किया गया है कि उपरोक्त दीवानी मुकदमा, वास्तव में, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर किया गया था और इसके खारिज होने पर, इसके खिलाफ अपील का भी इसी तरह का परिणाम हुआ था। हालांकि, यह स्पष्ट रूप से अनुरोध किया जाता है कि रिट याचिकाकर्ता एक प्रामाणिक गलती के तहत दीवानी मुकदमा और बाद की अपील दायर करने का उल्लेख करने में विफल रहे और उन्होंने सोचा था कि उसी का संदर्भ बिल्कुल भी आवश्यक नहीं था। यह स्पष्ट करने की कोशिश की जाती है कि जानबूझकर कोई छिपाव नहीं किया गया है।

(7) इस दृष्टिकोण से यह स्पष्ट है और वास्तव में इससे इनकार भी नहीं किया जाता है कि रिट याचिका में कोई स्पष्ट उल्लेख होने के बावजूद, रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा पहले नागरिक कानून के तहत अपने सामान्य और नियमित उपचार का सहारा लेने के बारे में दूरगामी संकेत भी नहीं मिलता है। इस प्रकार उन्होंने एक समान राहत की मांग की थी और कलेक्टर (कृषि) कैथल के आदेश से उत्पन्न अधिशेष क्षेत्र की कार्यवाही की वैधता और वैधता को चुनौती दी थी। पक्षकारों के बीच कानून और तथ्य के समान मुद्दे उत्पन्न हुए थे, जो उसमें अभिवचनों पर किए गए 7 मुद्दों में से निम्नलिखित 4 मुद्दों से स्पष्ट हैः –

(1) क्या प्रतिवादियों के पक्ष में आवंटन का आदेश वादी के लिए वैध और बाध्यकारी है? ओ पी डी
(2) क्या वाद में भूमि को अधिशेष घोषित करने का आदेश वाद के पैरा 6 में उल्लिखित आधारों पर शून्य है? ओ. पी. पी.
(3) क्या मुकदमा अदालत द्वारा और निरोध के सिद्धांतों पर वर्जित है? ओ. पी. डी.
(4) क्या वर्तमान वाद तथ्यों और विधि पर आधारित नहीं है जैसा कि प्रारंभिक आपत्ति सं. 1 लिखित कथन? ओ पी डी

(8) समान रूप से यह स्मरणीय है कि उपर्युक्त वाद के लंबित रहने के दौरान, कलेक्टर के आदेश के विरुद्ध रिट याचिकाकर्ताओं द्वारा दायर अपील को भी 14 अगस्त, 1972 को खारिज कर दिया गया था। उपरोक्त मुद्दों में से, सामग्री मुद्दे संख्या 3,4 और 6 का निर्णय रिट याचिकाकर्ताओं के खिलाफ किया गया

था। वास्तव में, विद्वत विचारण न्यायाधीश अपने निर्णय के समापन पर एक स्पष्ट निष्कर्ष पर पहुंचे कि स्थायी निषेधाज्ञा के लिए वाद झूठ नहीं है क्योंकि वादी (रिट याचिकाकर्ता) अदालत में साफ हाथों से नहीं आए थे और उन्होंने अदालत के साथ लुका-छिपी की नीति अपनाई थी।

(9) इस प्रकार यह स्पष्ट है कि जिस स्तर पर रिट याचिका दायर की गई थी, उस स्तर पर भी याचिकाकर्ता इस बात से अच्छी तरह वाकिफ थे कि कानून और तथ्य के समान मुद्दे, जिनके बारे में उन्होंने इस न्यायालय में राहत का दावा किया था, पहले ही उनके खिलाफ एक दीवानी न्यायालय में निर्णायक रूप से निर्णय ले चुके थे, जिसका उन्होंने स्वयं सहारा लिया था। फिर भी, उन्होंने जानबूझकर और सोच-समझकर इस तथ्य को पूरी तरह से रिट कोर्ट से हटा दिया। इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता कि यदि इन सभी तथ्यों का खुलासा उस स्तर पर किया जाता जैसा कि रिट याचिकाकर्ता करने के लिए बाध्य थे, तो न्यायालय ने अपने हाथों को पूरी तरह से रोक दिया होता या किसी भी मामले में कोई अंतरिम राहत देने के लिए बहुत अनिच्छुक और सतर्क होता। यही सब कुछ नहीं है। रिट याचिका में आगे यह कहा गया था कि याचिकाकर्ताओं के लिए कोई अन्य उपाय उपलब्ध नहीं था। इसे इस तथ्य के संदर्भ में देखा जाना चाहिए कि इस बीच रिट याचिकाकर्ताओं ने विद्वान अधीनस्थ न्यायाधीश के आदेश के खिलाफ अपील दायर की थी, जो उनकी जानकारी में निर्णय लंबित था और जिसमें भी वे समान राहत की मांग कर रहे थे। इस प्रकार, इसमें कोई संदेह नहीं हो सकता है कि इस संदर्भ में अभिकथन जानबूझकर और सुनियोजित रूप से इन भौतिक तथ्यों के संबंध में रिट कोर्ट को अंधेरे में रखने और इन तथ्यों को रास्ते से बाहर रखते हुए अंतरिम या अंतिम राहत प्राप्त करने के लिए तैयार किए गए थे। यह शायद उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस अंतराल के दौरान रिट याचिकाकर्ताओं ने अतिरिक्त जिला न्यायाधीश, करनाल के समक्ष अपील के माध्यम से अपने उपचार को गद्य में प्रस्तुत किया और अंततः 17 अगस्त, 1976 को अपीलार्थियों (रिट याचिकाकर्ताओं) की ओर से उठाए गए सभी तर्कों पर विचार करने के बाद गुण-दोष के आधार पर उन्हें खारिज कर दिया गया। फिर भी, इस तथ्य को रिट याचिकाकर्ताओं की ओर से किसी भी स्तर पर इस न्यायालय के ध्यान में लाने की दूर से मांग नहीं की गई थी।

(10) उपर्युक्त संदर्भ में, हम यह अभिनिर्धारित किए बिना नहीं रह सकते कि

भौतिक तथ्यों का दुर्भावनापूर्ण और सुनियोजित दमन किया गया है, जिसका यदि खुलासा किया जाता, तो याचिकाकर्ताओं को रिट अधिकार क्षेत्र के तहत असाधारण उपचार के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाता या किसी भी मामले में दावा की गई अंतरिम और अंतिम राहत दोनों पर गुणागुण को भौतिक रूप से प्रभावित करता। हम रिट याचिकाकर्ताओं की इस दलील को स्पष्ट रूप से खारिज करते हैं कि उनकी जानकारी में इन सभी भौतिक तथ्यों का स्पष्ट रूप से उल्लेख करने में विफलता या तो अनजाने में हुई थी या किसी भी प्रामाणिक चूक के कारण हुई थी।

(12) इंग्लैंड की तरह भारत में भी न्यायालयों ने संविधान की घोषणा के समय से ही उपरोक्त सिद्धांत के अनुसार एक समान रुख अपनाया है। मलिक सी. जे. ने एशियाटिक इंजीनियरिंग कंपनी बनाम अछरू राम मामले में पूर्ण पीठ की ओर से बोलते हुए, (2) एक विस्तृत चर्चा के बाद निम्नलिखित मत व्यक्त कियाः- "संविधान के अनुच्छेद 226 के तहत असाधारण शक्तियों के प्रयोग के लिए याचिका के माध्यम से एकतरफा आदेश या नियम निसी प्राप्त करने वाले व्यक्ति को स्वच्छ हाथों से आना चाहिए, न्यायालय से किसी भी प्रासंगिक तथ्यों को दबाना नहीं चाहिए, भ्रामक बयान देने और न्यायालय को गलत जानकारी देने से बचना चाहिए। अदालतों को अपनी सुरक्षा के लिए इस बात पर जोर देना चाहिए कि इन असाधारण शक्तियों का उपयोग करने वाले व्यक्तियों को किसी भी तरह से दमन, गलत निरूपण या तथ्यों के गलत कथन द्वारा एकतरफा आदेश प्राप्त करके इस मूल्यवान अधिकार का दुरुपयोग करने का प्रयास नहीं करना चाहिए। वर्तमान मामले में इस सिद्धांत को लागू करते हुए, हम महसूस करते हैं कि, इस मामले में, याचिकाकर्ता कंपनी ने सामग्री दमन, गलत निरूपण और भ्रामक बयानों द्वारा निषेध की मांग करने के लिए खुद को अयोग्य घोषित कर दिया है जो हमारे द्वारा ऊपर पाए गए हैं----- "

(13) इस अधिकार क्षेत्र के भीतर, श्री टी. जे. सी. रेखी बनाम आयकर अधिकारी मामले में एक खंड पीठ ने यह अभिनिर्धारित किया है कि यदि उन भौतिक तथ्यों का कोई दमन किया जाता है जिनके आधार पर रिट का दावा किया जाना चाहा जाता है, तो न्यायालय गुण-दोष में जाए बिना इसे देने से इनकार कर देगा। इस निर्णय के बाद नारायण दास में एक अन्य खंड पीठ और एक अन्य v. पंजाब राज्य और अन्य ने यह अभिनिर्धारित करने में और भी कठोर दृष्टिकोण अपनाया कि याचिका में कथन के बीच कोई अंतर नहीं है जो तथ्य का एक

सकारात्मक कथन है और एक हलफनामा जो शपथ लेता है या एक पुष्ट कथन को लिखित में सीमित कर दिया जाता है। उन्होंने रिट याचिका को इस संक्षिप्त आधार पर खारिज कर दिया कि रिट याचिका में इस आशय का गलत दावा किया गया था कि प्रतिवादियों को प्रस्ताव की सूचना दी गई थी; जबकि, वास्तव में, ऐसा नहीं किया गया था।

(14) उदाहरण की लंबी पंक्ति से सहमत होते हुए और एक नियम की पुष्टि करते हुए, जो हमें उपयोग से पुराना लगता है, हम मानते हैं कि रिट याचिकाकर्ताओं ने, वर्तमान मामले में, अपने स्वयं के आचरण से, उस राहत के लिए खुद को वंचित कर दिया है जिसका वे दावा करना चाहते थे। हम गुणदोष पर ध्यान दिए बिना केवल इस आधार पर लागत के साथ रिट याचिका को खारिज करते हैं।

अस्वीकरण : स्थानीय भाषा में अनुवादित निर्णय वादी के सीमित उपयोग के लिए है ताकि वह अपनी भाषा में इसे समझ सके और किसी अन्य उद्देश्य के लिए इसका उपयोग नहीं किया जा सकता है । सभी व्यवहारिक और आधिकारिक उद्देश्यो के लिए निर्णय का अंग्रेजी संस्करण प्रमाणिक होगा और निष्पादन और कार्यान्वयन के उद्देश्य के लिए उपयुक्त रहेगा ।

**रमनीक कौर**
**प्रशिक्षु न्यायिक अधिकारी**
**(Trainee Judicial Officer)**
**फ़रीदाबाद, हरियाणा**